स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

# भारत सरकार
# Government of India
# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं0 एनएम/3/2018/एसटीजीसीजी/डीईओटीएच/आर. यू. ।।। दिनांकः 15–01–2018

## सिटिंग नोटिस

विषयः श्री नागेश्वरी मंडावी, मं. नं. 48/45, पुलिस लाईन, जगदलपुर जिला बस्तर, (छत्तीसगढ़) को उनके पड़ोसी लल्लन सिंह द्वारा प्रताड़ित करने संबंधी दिनांक 08/12/2017 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)

2. सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 05–02–2018 को 02.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24601346

सेवा में,
पुलिस अधीक्षक,
जिला– बस्तर
जगदलपुर,
(छत्तीसगढ़)

508-09
15/1

oc

प्रतिलिपिः
श्री नागेश्वरी मंडावी,
मं. नं. 48/45, पुलिस लाईन,
जगदलपुर जिला बस्तर, (छत्तीसगढ़)